प्रेस विज्ञप्ति
20-09-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19/09/2025 को महाराष्ट्र स्थित 1.15 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बैंक सुरक्षा एवं धोखाधड़ी प्रकोष्ठ (बीएसएंडएफसी), नई दिल्ली और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), मुंबई द्वारा दर्ज प्राथमिकी और आरोप-पत्रों के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडडीपीएल) द्वारा पीएनबी और अन्य कंसोर्टियम बैंकों से धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि (अपराध की आय) का एक हिस्सा ज़ूम हिंदुस्तान पीटर ओट्स जेवी जैसे संयुक्त उद्यमों के माध्यम से एकत्रित किया गया और अंततः मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स लाइनिंग एलएलपी और उससे जुड़े व्यक्तियों जैसी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया, जिनका उपयोग आगे अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया।

इस मामले में ईडी पहले ही 131.34 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए पाँच अनंतिम कुर्की आदेश जारी कर चुका है। साथ ही, इस मामले में एक अभियोजन शिकायत और दो पूरक अभियोजन शिकायत भी दर्ज की गई हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।